संख्या- 341 /2023 / 7169 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या (सम्प्रति अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या) के अन्तर्गत निर्माणाधीन तुलसी स्मारक भवन के अत्याधुनिकीकरण /निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3211/सं0नि0-6(139) / 2019-20 दिनांक 10 नवम्बर, 2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या (सम्प्रति अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या) के अन्तर्गत तुलसी स्मारक भवन के अत्याधुनिकीकरण /निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-71/2020/467/चार-2020 दिनांक 17 मार्च 2020 द्वारा निर्गत रू0 1682.23 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक रू0 1020.55 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। इसके अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या- 6000/चार-2023 दिनांक 06 नवम्बर, 2023 में भी परियोजना के स्वीकृत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या (सम्प्रति अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या) के अन्तर्गत तुलसी स्मारक भवन के अत्याधुनिकीकरण /निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) धनराशि निर्गत करने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या-71/2020/467/चार-2020 दिनांक 17 मार्च 2020, शासनादेश संख्या-95/2021/742/चार-2021 दिनांक 26 मार्च 2021 तथा शासनादेश संख्या-204/2022/2059/चार-2022 दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, संस्कृति का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, संस्कृति द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या (अयोध्या शोध संस्थान) / निदेशक, संस्कृति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या (अयोध्या शोध संस्थान)/ निदेशक, संस्कृति का होगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय- 51- अयोध्या में विभिन्न कार्य - 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 341 /2023 / 7169 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या (अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या)।
7- मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको), लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको), अयोध्या।
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in